

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक:-राम/भू.अ./परीक्षा/प- 222/09/6782

दिनांक 17-6-11

विज्ञापित

राज्य की प्रशिक्षण शाला में प्रवेश हेतु राजस्व (भू-अभिलेख) विभाग के सेवारत पटवारियों में से भू-अभिलेख निरीक्षक पद के लिये प्रतियोगी परीक्षा-2011

1. राजस्व (भू-अभिलेख) विभाग के सेवारत पटवारियों में से राज्य की प्रशिक्षण शाला में प्रवेश हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक पद पर चयन के प्रयोजनार्थ प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन राजस्थान भू- राजस्व (भू.अ.) नियमावली 1957 के नियम 284 (ii) के अन्तर्गत किया जा रहा है।
2. आवेदन पत्र व अन्य विवरण हेतु मण्डल की वेबसाइट www.bor.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। अर्हताएं/योग्यताएं रखने वाले एवं परीक्षा में बैठने के इच्छुक अभ्यर्थी, जिस जिले में पटवारी के रूप में सेवारत है उस संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को दिनांक 18-07-2011 की सांय 6 बजे तक तक मय परीक्षा शुल्क के आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये। दिनांक 18-07-2011 की सांय 6 बजे तक के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।
3. भू-अभिलेख निरीक्षक की रिक्तियां 93 हैं जिन्हे आवश्यकतानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिये अलग से विज्ञापित जारी नहीं की जावेगी। इनमें 14 पद अनुसूचित जाति एवं 11 पद अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित है। इन पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 10-10-2002 के अनुसार आरक्षित रिक्तियों को नियमानुसार अग्रणीत किया जायेगा।
4. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें (योग्यतायें) होना आवश्यक है :-
 - (i) कि वह राजस्व (भू.अ.) विभाग का पटवारी है और उसे पटवारी के रूप में 5 वर्ष की सेवा का अनुभव है।
 - (ii) कि वह सैकण्डरी परीक्षा या सरकार द्वारा मान्य अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हैं।
 - (iii) कि वह 1 जनवरी 2012 को 45 वर्ष से अधिक की आयु का नहीं हैं।
 - (iv) कि वह पटवार डिप्लोमाधारी (पटवार परीक्षा उत्तीर्ण) है या वह नियमानुसार इस डिप्लोमा से मुक्त हैं।
5. परीक्षा शुल्क सामान्य जाति के आवेदकों से 100/-रुपये (अंके एक सौ रूपये मात्र) एवं पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी के आवेदकों से तथा विशेष पिछड़ी जाति श्रेणी के आवेदकों से 50/- रूपये (अंके पचास रूपये मात्र) राजस्व मण्डल के खाते में " मद 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं , 60-अन्य सेवाएं , 800-अन्य प्राप्तियां , (17) राजस्व मण्डल द्वारा परीक्षाएं " में आवेदन पत्र के साथ दी गई निर्देशावली के अनुसार जमा कराना होगा। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा। परीक्षा शुल्क एक बार जमा हो जाने के बाद किसी भी स्थिति में लौटाया नहीं जावेगा और न ही अन्य परीक्षा हेतु भविष्य में उपयोग किया जा सकेगा।
6. चयनित अभ्यर्थियों को राजस्व प्रशिक्षण शाला में 9 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जावेगा तथा प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने पर राज्य के किसी भी जिले में भू-अभिलेख निरीक्षण के पद पर नियुक्ति दी जा सकेगी।
7. मण्डल द्वारा चयनित परीक्षा केन्द्रों पर प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए स्वयं के खर्च पर उपस्थित होना पडेगा। परीक्षा में बैठने का प्रवेश पत्र तथा रोल नम्बर आवेदन पत्रों की जांच के पश्चात् राजस्व मण्डल द्वारा प्रार्थी के द्वारा दिये गये पते पर भेजा जावेगा।
8. उपरोक्त परीक्षा में निम्नांकित विषयों के प्रश्न पत्र होंगे :-
 - (i) Revenue Laws
 - (ii) Survey & Mensuration
 प्रश्न पत्रों के पूर्णांक 100 होंगे एवं उत्तीर्णांक 40 होंगे।
9. आवेदन पत्र के साथ दी जाने वाली निर्देशावली में परीक्षा संबंधी पूर्ण विवरण मण्डल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी उक्त संदर्भ में आवश्यक जानकारी संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
10. राजस्थान भू-राजस्व (भू.अ.) नियम,1957 के नियम 289 अनुसार प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की जांच जिला कलेक्टर द्वारा मनोनीत एक अधिकारी द्वारा की जावेगी। मनोनीत अधिकारी प्रत्येक आवेदन पत्र तथा उसके सलंगनक को यह प्रमाणित करने के हस्ताक्षर करेगा कि उसमें समाविष्ट प्रविष्टियां सही है तथा आवेदन प्रपत्र में विहित समस्त प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ सलंगन हैं। राजस्व मण्डल द्वारा निर्दिष्ट दिनांक तक जिला कलेक्टर ऐसे सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र मय उनके सलंगनक के सचिव (भू.अ.), राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर को अग्रेषित करेंगे।

(अलका मीणा)
सचिव (भू.अ.)

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
राजस्व (भू.अ.) विभाग के सेवारत पटवारियों में से चयन हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक प्रतियोगी परीक्षा-2011
(राज्य की प्रशिक्षण शाला में प्रवेश हेतु)

आवेदन पत्र

(कार्यालय उपयोग के लिये)

रोल नम्बर

मेरिट नम्बर

ट्रेजरी का नाम व चालान नम्बर दिनांक राशि रुपये

1. आवेदक का नाम :

2. पिता का नाम :

4. जन्म दिनांक :

(सैकेण्डरी स्कूल के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

3. शैक्षणिक योग्यता :

(प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

5. आवेदक अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग तो अंकित करें (प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) ।

6. आवेदक का वर्तमान में

(1) धारित पद

(2) विभाग / कार्यालय का नाम

7. जिले का नाम (गृह जिला) जिसका कि पटवारी मूल निवासी है

8. क्या आवेदक प्रशिक्षण पश्चात् की पटवार परीक्षा उत्तीर्ण हैं

अथवा परीक्षा से मुक्त हैं? यदि है तो सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें।

9.

(प्रार्थी के हस्ताक्षर)

(कार्यालय उपयोग हेतु)

10. जिले का नाम जिसमें कि पटवारी मूलतः नियुक्त किया गया था उसका धारणाधिकारी है

11. जिले का नाम जहां कि वरिष्ठता सूची में नाम है

12. पटवारी के पद पर पहलीबार कार्य ग्रहण करने की दिनांक

13. पटवार परीक्षा पास करने की दिनांक

14. राजस्व (भू-अभिलेख) विभाग में कार्यरत पटवारियों का प्रमाण-पत्र

श्री पुत्र श्री मेरे अधीनस्थ पटवारी के

पद पर कार्यरत है तथा पटवार परीक्षा पास है / परीक्षा से मुक्त है।

हस्ताक्षर जिला कलेक्टर द्वारा मनोनीत अधिकारी
 पद एवं सील

15. जिला कलेक्टर की टिप्पणी [भू-अभिलेख नियमावली, 1957 के नियम 289 (iii) के तहत]
 प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रार्थना पत्र के साथ सभी आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न है।

दिनांक

हस्ताक्षर जिला कलेक्टर (भू.अ.) मय सील

परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी की उपस्थिति :

क्र.सं.	विषय	दिनांक	हस्ताक्षर प्रार्थी	हस्ता. वीक्षक मय दिनांक
1.	रेवेन्यू लॉज			
2.	सर्वे एवं मापगणित			

नोट :- परीक्षार्थी जिस परीक्षा में न बैठे वहां अनुपस्थित अंकित करें।

हस्ताक्षर परीक्षा केन्द्राधीक्षक

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

राजस्व (भू.अ.) विभाग के सेवारत पटवारियों में से चयन हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक प्रतियोगी परीक्षा-2011
(राज्य की प्रशिक्षण शाला में प्रवेश हेतु)

निदेशावली

राजस्व (भू-अभिलेख) विभाग के सेवारत पटवारियों में से राज्य की प्रशिक्षण शाला में प्रवेश हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक पद पर चयन के प्रयोजनार्थ प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन राजस्थान भू- राजस्व (भू.अ.) नियम, 1957 के नियम 283 से 298 के अन्तर्गत किया जायेगा।

सेवारत पटवारियों को निम्नलिखित आवश्यक जानकारी दी जाती है :-

1. अर्हताएँ / योग्यताएँ :

- कि वह राजस्व (भू.अ.) विभाग का पटवारी है और उसे पटवारी के रूप में 5 वर्ष की सेवा का अनुभव है।
- कि वह सैकण्डरी परीक्षा या सरकार द्वारा मान्य अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण है।
- कि वह 1 जनवरी 2012 को 45 वर्ष से अधिक की आयु का नहीं है।
- कि वह पटवार डिप्लोमाधारी (पटवार परीक्षा उत्तीर्ण) है या वह नियमानुसार इस डिप्लोमा से मुक्त है।

2. आवेदन पत्र :

आवेदन पत्र व अन्य विवरण हेतु मण्डल की वेबसाईट www.bor.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। अर्हताएँ/योग्यताएँ रखने वाले एवं परीक्षा में बैठने के इच्छुक अभ्यर्थी, जिस जिले में पटवारी के रूप में सेवारत है उस संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को दिनांक 18-07-2011 की सांय 6 बजे तक मय परीक्षा शुल्क के आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये। दिनांक 18-07-2011 की सांय 6 बजे तक के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित मूल प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि सलंगन करेगा तथा आवेदन पत्र में अंकित निर्धारित प्रमाण पत्र भरेंगे :-

- शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि की एक प्रतिलिपि जो कि राजस्थान के राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित होनी चाहिये।
- कि वह आवेदन पत्र में प्रविष्ट आयु का प्रमाण पत्र सैकण्डरी या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र में अंकित जन्म दिनांक मान्य होगी।
- अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा दिया हुआ होना चाहिये।
- पटवार प्रशिक्षण पश्चात् की पटवार परीक्षा की अंक तालिका या डिप्लोमा की एक प्रमाणित प्रतिलिपि।
- पटवार परीक्षा से नियमानुसार मुक्त कर दिया है तो उक्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि।
- आवेदन पत्र के साथ दो लिफाफे (5"x 8") स्वयं के पते लिखे हुए सलंगन करना अनिवार्य है।

3. प्रतियोगी परीक्षा एवं परीक्षा शुल्क :

ऐसे पटवारी जो निर्धारित योग्यताएँ रखते हैं प्रतियोगी परीक्षा में बैठ सकेंगे। परीक्षा की दिनांक, स्थान एवं कार्यक्रम के लिये पृथक से सूचित किया जायेगा। परीक्षा शुल्क सामान्य जाति के आवेदकों से 100/-रूपये (अंके एक सौ रूपये मात्र) एवं पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी के आवेदकों से तथा विशेष पिछड़ी जाति श्रेणी के आवेदकों से 50/- रूपये (अंके पचास रूपये मात्र) राजस्व मण्डल के खाते में " मद 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, 60-अन्य सेवाएँ, 800-अन्य प्राप्तियाँ, (17) राजस्व मण्डल द्वारा परीक्षाएँ " में जमा करवाकर मूल चालान की प्रति आवेदन पत्र के साथ सलंगन करना होगा। चालान संबंधित जिला कलेक्टर के पद के नाम से बनाया जाना है। परीक्षा शुल्क किसी भी स्थिति में मनीआर्डर तथा पोस्टल आर्डर से स्वीकार नहीं किया जायेगा। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा।

4. परीक्षा के लिये निम्नांकित विषयों के प्रश्न पत्र होंगे :

विषय	पूर्णांक	उत्तीर्णांक
1. Revenue Laws (रेवेन्यू लॉज)	100	40
2- Survey & Mensuration (सर्वे एवं मापगणित)	100	40

जो पटवारी उत्तीर्ण घोषित होंगे उनकी पूर्ण सूची तैयार की जावेगी और प्रत्येक पटवारी द्वारा प्राप्त किये गये कुल अंको के आधार पर योग्यता के क्रम में उनके नाम सूची में व्यवस्थित किये जायेगे। राजस्व मण्डल उसी क्रम में पटवारियों को शाला में प्रवेश देगा। राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 में अंकतालिका दिये जाने का प्रावधान नहीं है। प्रशिक्षण की समाप्ति पर विभागीय परीक्षा में सफल होने पर उन्हें भू-अभिलेख निरीक्षक के पद पर नियुक्ति दी जावेगी।